भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–11/2020–21

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के वाद टिप्पणी तारीख साथ</th></tr>
<tr><td>22.11.2021</td><td>
अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक/अपीलार्थी (1) केशवती देवी, पति–स्व0 कुबेर चन्द्र महतो, (2) कदम बिहारी महतो, पिता–स्व0 कुबेर चन्द्र महतो (3) ज्योत्सना महतो, पति–रामेश्वर महतो (4) ममता महतो, पिता–मदन मोहन महतो (5) अंदग कुमार महतो, पिता–स्व0 कुबेर चन्द्र महतो (6) अजीत कुमार महतो, पिता–स्व0 मदन मोहन महतो, (7) प्रमीला महतो, पति–मदन मोहन महतो, सभी निवासी, ग्राम–उन्धन, पो0+थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के नामांतरण वाद संख्या–16 R27/2020–21, दिनांक–08.10.2020 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–11/2020–21 प्रारंभ की गई है, जिसमें (1) अजय कुमार साहु, पिता–लक्ष्मण प्रसाद साहु, ग्राम+पो0+थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया गया है।

भूमि का विवरणी
<table>
<tr><th>मौजा</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td>उन्धन</td><td>91</td><td>63</td><td>195</td><td>0.04.000 ए0</td></tr>
</table>
प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता बहस के दौरान बताया गया कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, अंचल कार्यालय, मनोहरपुर द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में बताया गया है कि दिवाकर महतो खतियानी एवं पंजी–II रैयत है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त भूमि का वैधिक बंटवारा/पारिवारिक बंटवारा हुआ है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कदम बिहारी महतो द्वारा उनके स्थल जाँच के समय उक्त नामांतरण वाद के संबंध में मौखिक रूप से आपत्ति की गई, परंतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा उनके आपत्ति पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। उक्त भूमि हाल सर्वे खतियान में दिवाकर महतो एवं अन्य के नाम से दर्ज है तथा उनके द्वारा 2020–21 तक मालगुजारी का भुगतान किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी अजय कुमार साहु, पिता–लक्ष्मण प्रसाद साहु, ग्राम+पो0+थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के कागजातों का अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा विधिवत जाँच किये बिना ही उपरोक्त संयुक्त खाते की भूमि का नामांतरण प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से अवैध रूप से कर दिया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा नामांतरण वाद
</td><td></td></tr>
</table>

संख्या–16 R27/2020–21, दिनांक–08.10.2020 में पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

बहस के दौरान प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि खतियानी रैयत धनंजय महतो एवं अन्य अंशदारों के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि खतियानी रैयत से जयकिशन लाल सिंह द्वारा क्रय किया गया था एवं वसंती जयसवाल, पति–भोला नाथ जयसवाल द्वारा उक्त भूमि जयकिशन लाल सिंह से दलील संख्या–3575, दिनांक–24.10.1978 को क्रय किया गया था एवं उक्त भूमि वर्तमान बिक्रेता श्रीमति कलावती देवी, पति–श्री शिबू ओहदार, पिता–जीतू साहु, ग्राम–हाटिंगहोड़े, पो0+थाना–बानो, जिला–सिमडेगा, वर्तमान निवासी, ग्राम–उन्धन, थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा वसन्ती जयसवाल से दलील संख्या–141, दिनांक–31.08.2005 द्वारा क्रय किया गया है, जिसका नामांतरण अंचल कार्यालय, मनोहरपुर के नामांतरण वाद संख्या–1410/2005–06 द्वारा नामांतरण होकर पंजी–II कायम है साथ ही बिक्रेता द्वारा मालगुजारी भी अदा किया जा रहा है। बिक्रेता श्रीमति कलावती देवी, पति–श्री शिबू ओहदार, वर्तमान निवासी, ग्राम–उन्धन, थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा दलील संख्या–212, दिनांक–09.06.2020 द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या–1 अजय कुमार साहु, पिता–लक्ष्मण प्रसाद साहु, ग्राम–मनोहरपुर (ब्लॉक रोड, फोरेस्ट चेकनाका समीप), पो0+थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को बिक्री किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि इस प्रकार उक्त भूमि का चार बार खरीद–बिक्री हो चुका है। लगभग चार जेनरेशन द्वारा उक्त भूमि का क्रय–बिक्रय किया गया है एवं दाखिल–खारिज भी कराया गया है। ऐसे में प्रथम पक्ष का यह कहना है कि उक्त भूमि का क्रय–बिक्रय के संबंध में उनको मालूम नहीं है। उनका यह कथन निराधार है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कालबाधा के मद्देनजर इस नामांतरण अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अतएव कालबाधा के मद्देनजर इस नामांतरण अपील वाद/आवेदकगणों के आवेदन पत्र को **खारिज** किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.04.05 13:53:58 +05:30
Location: 10.93.69.133